भाग–III

कोटपातल बैण्ड से मदौरा मोटर मार्ग 5 Km

(प्रस्ताव संख्या 10731 / 2015

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं प्रस्तावित 5 कि.मी. लम्बाई मे 0-10 व्यास श्रेणी के कुल 03 बाज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं अतः अधोहस्ताक्षरी स्तर से स्थलगत कोई निरीक्षण नहीं किया गया। प्र०व० के पत्रांक 3465/1-12 दिनांक 30/4/15 द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28/4/15 एवं 28/4/15 के आधार पर सहमति व्यक्त की जा रही है (संलग्न 1-से 5)
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ सहमत
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने **वाले 0–10 व 10–20 व्यास** श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक
स्थानः– अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष नं0:– **05963-220249** फैक्स नं0:– **05963-220209**

पत्रांक 3465 / 1-12(1) **बागेश्वर** **दिनांक :** 30/04 **/2015।**

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में कांडा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.840 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ :– **On line upload proposal no. FP/UK/ROAD/ 10731/2015 dated 07.03.2015.**

महोदय,

उक्त विषयक कम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय से उक्त प्रस्ताव को आनलाइन करते समय 0–10 से0मी0 व्यास श्रेणी के 03 बांज वृक्षों को त्रुटिवंश 10–20 से0मी0 व्यास श्रेणी का दिखाया गया है।

अतएव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संलग्न कर सेवा में प्रेषित।

संलग्न–एफ.आर.ए. की प्रति ।

भवदीय,

(एम0बी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.840 .है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

Photo copy Attached

दिनांक 02-03-2015

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 28-02-2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2015 द्वारा कांडा–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.840 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा कांडा–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर कांडा–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.840 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा कांडा–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदोरा बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.840 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

Photo copy Attached

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

प्रपत्र– 23.4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में प्रस्तावित कांडा –रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.840 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता ऐजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा– सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान –बागेश्वर

दिनांक 02-03-2015

Photo copy Attached

(भूपाल सिंह मनराल)

जिलाधिकारी

बागेश्वर

मुहर

सहायक अभियन्ता

प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0

बागेश्वर